



बुलन्दशहर पुलिस



OPERATION CONVICTION

गैंगस्टर के 02 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास

दिनांक- 07.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप **थाना बीबीनगर पर जनता में भय व आतंक व्याप्त करने के सम्बन्ध में** पंजीकृत मु०अ०सं०-306/2009 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त **शंकर पुत्र प्रीतम व हरवीर पुत्र रामचन्द्र निवासीगण बहीरा थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर** को मा०न्याया० एडीजे-08 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा 02-02 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया ।



श्री योगेश
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



का० वसीम
(पैरोकार)



है०का० नीरज
(कोर्ट मोहर्रि)